न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 1857–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–5–2014 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर, अपील प्रकरण कमांक आर.ई.सी/44/2013–14.

....

ग्वालियर एल्कोब्रू प्रा0 लि0
रायरू, जिला ग्वालियर .... अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्य प्रदेश राज्य,
द्वारा आबकारी आयुक्त, ग्वालियर .... प्रत्यर्थी

....

श्री यश भार्गव, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक, प्रत्यर्थी

....

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 8/10/15 को पारित)

यह अपील अपीलार्थी द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 62(2)–सी के अंतर्गत आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–5–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 621 में दिनांक 7–5–2013 को आदेश पारित कर अपीलार्थी इकाई द्वारा मध्य प्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 10(2) के अन्तर्गत अनुमत्य सीमा से अधिक मार्ग हानि पाये जाने पर नियम 12(6) के अन्तर्गत निर्धारित मार्ग हानि से 177.75 प्रुफ लीटर अधिक हुई मार्ग हानि पर 80/– प्रति प्रुफ लीटर की चार गुना अर्थात् 240/– प्रति प्रूफ लीटर की दर से 42,660/– रुपये शास्ति अधिरोपित की गई । उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता, ग्वालियर के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी इकाई द्वारा प्रथम अपील आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक

21–5–2014 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा उसे सुनवाई का अवसर नहीं देकर आदेश पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना की गई है । अधिनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी इकाई पर आरोप सिद्ध करने के पूर्व साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देना था । यह भी कहा गया कि अपीलार्थी इकाई द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र का विधिवत जबाव प्रस्तुत किया गया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । निर्धारित मार्ग हानि से अधिक मार्ग हानि अपीलार्थी इकाई की असावधानी के कारण हुई है, यह सिद्ध करने का भार अधीनस्थ न्यायालयों पर था, परन्तु उनके द्वारा अपीलार्थी इकाई की असावधानी को प्रमाणित नहीं किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि निर्धारित मार्गहानि से अधिक मार्ग हानि होने पर शासन को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है, अतः उस पर शास्ति लगाये जाने का कोई औचित्य नहीं है । यह भी कहा गया कि संविदाकर अधिनियम की धारा 73 एवं 74 में यह प्रावधान है कि संविदाकर अनुसार यदि किसी व्यक्ति को कोई हानि होती है तो उसकी पूर्ति कराई जा सकती है, जबकि शासन को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी इकाई पर न्यूनतम शास्ति अधिरोपित करना चाहिये थी, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकतम शास्ति अधिरोपित करने में अवैधानिकता अथवा अनियमितता की गई है । अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाये ।

4/ प्रतिउत्तर में शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्को में यह आधार प्रस्तुत किया गया कि आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि अपीलार्थी ईकाई द्वारा निर्धारित मार्ग हानि से अधिक मार्ग हानि की गई है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शास्ति अधिरोपित करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि

नहीं गई है । उनके द्वारा आबकारी आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आबकारी उपायुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी इकाई द्वारा मध्य प्रदेश देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 10(2) में निर्धारित मार्ग हानि से 177.75 प्रुफ लीटर अधिक मार्ग हानि की गई है । आबकारी उपायुक्त द्वारा अपीलार्थी इकाई को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया, परन्तु उनके द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया जा सका है कि निर्धारित मार्गहानि से हुई अधिक मार्ग हानि अपरिहार्य कारणों से कारित हुई है और उसमें अपीलार्थी इकाई की कोई असावधानी नहीं है । अतः आबकारी उपायुक्त द्वारा नियम 12(6) के अन्तर्गत हुई मार्ग हानि की तीन गुना शास्ति रुपये 42,660/– अधिरोपित करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । आबकारी आयुक्त द्वारा भी अपीलार्थी इकाई को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है, परन्तु उनके समक्ष भी अपीलार्थी द्वारा यह तथ्य प्रमाणित नहीं किया जा सका है कि निर्धारित मार्ग हानि से हुई अधिक मार्गहानि अपीलार्थी इकाई की असावधानी से नहीं हुई है । अतः आबकारी आयुक्त द्वारा आबकारी उपायुक्त के आदेश की पुष्टि करने में वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, अतः आबकारी आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–5–2014 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

7/ यह आदेश अपील प्रकरण कमांक 1858–पीबीआर/14, 1859–पीबीआर/14, 1860–पीबीआर/14 एवं 1861–पीबीआर/14 पर भी लागू होगा, अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरणों में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर